न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39/2018 (राजसमन्द डिकी)

1. सवाईराम पिता रामा जी सालवी, निवासी बारवालों का खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)
2. गोपीलाल पिता रामा जी सालवी, निवासी बारवालों का खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नारायणलाल पिता मुला जी सालवी, निवासी बारवालों का खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)
2. चुन्नीलाल पिता मुला जी सालवी, निवासी बारवालों का खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ दिनांक
दिनांक 04.05.2018, प्र. सं. 98/17

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री फतहसिंह राठौड़ अभिभाशक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय दिनांक

22–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान का"तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बारवालों का खेड़ा में आराजी नंबर 190/3 व 190/4 कुल किता 2 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है, जो वादीगण के पिता मुला जी को आवंटित हुई थी तथा उनका निरन्तर निर्बाध कब्जा चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण जबरन कब्जा

करना की नियत से वादीगण के शान्ति पूर्वक काश्त में व्यवधान पैदा करते हैं। अतएवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 04–05–2018 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्टगण/ प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06–08–2018 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री फतहसिंह राठौड़ उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19–04–2018 को दिनांक 25–05–2018 की पेशी दी गयी एवं इसकी बजाय 04–05–2018 को प्रकरण लोक अदालत में अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 31–07–2018 को तब हुई जब रेस्पोन्डेन्टगण ने अपीलान्टगण से कब्जा हटाने को कहा। उक्त कारणों अपील पेश करने में देरी हुई है, जिसे न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि उक्त निर्णय व डिक्री अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में पारित की गयी है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि दिनांक 19–04–2018 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण को जवाब प्रस्तुत करने

के लिए पेशी दिनांक 25–05–2018 के लिए दी गयी, किन्तु अपीलान्टगण को बिना कोई सूचना दिये दिनांक 04–05–2018 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर सिर्फ रेस्पोन्डेन्टगण की उपस्थिति में वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 19–04–2018 को पत्रावली प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण के जवाबदावे हेतु दिनांक 25–05–2018 को रखी गयी, किन्तु इसके स्थान पर बिना अपीलान्टगण को किसी प्रकार की सूचना दिये पत्रावली दिनांक 04–05–2018 को कैम्प कोई में रखी जाकर वादीगण की उपस्थिति में वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। इसके अलावा यह भी इस प्रकरण में प्रकट आया कि दिनांक 04–05–2018 को पत्रावली निर्णय किये जाने के बाद आगामी पेशी दिनांक 05–07–2018 को रखी गयी, किन्तु उक्त दिनांक की फर्द अहकाम में प्रतिवादी के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 02–08–2018 को रखी गयी, जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद में काट दिया गया है, किन्तु बाद में इसी दिनांक 05–07–2018 की अन्य फर्द अहकाम लिखो गयी, जिसमें अंकित किया कि राजस्व लोक अदालत में दिनांक 04–05–2018 को निर्णय पारित हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–05–2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण को विधिवत

सुनवाई का अवसर प्रदान कर तथा उनका जवाब लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–09–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............उदयपुर.............

व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

विनोदसिंह पिता स्व. लक्ष्मणसिंह रावत बनाम रोडसिंह पिता देवीसिंह जी रावत
निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, निवासी छापली (खजेडिया), तह0
छापली, तह.भीम, जि.राजसमन्द व अन्य भीम, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰...........**11/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी........
...........भीम....... मुकाम................मुवर्खे.............**24**...............माह..............**05**.............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**14**......माह........**03**.......सन् **2019** रूबरू........पक्षकारान
व हाजरी...श्री मदनसिंह चौहान ....मिनजानिब अपीलान्ट व............श्री भंवरसिंह चौहान

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**14**......माह.......**03**...........**2019**
को जारी किया गया ।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।